

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2023—फाल्गुन 30, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023

क्र. 4981-85-इक्कीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 मार्च, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०२३

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२३

[दिनांक २१ मार्च, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ मार्च, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२३ है.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६३,२९,५०,०७,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ पचास लाख सात हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
००९.	भारत विनियोग-लोक ऋण पूंजी	०	१००	१००
००७.	वाणिज्यिक कर	८९,७०,००,१००	०	८९,७०,००,१००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.	२००	०	२००
०१०.	वन	४,८००	०	४,८००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन		
	राजस्व	५,५०,००,००,०००	० ५,५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा		
	राजस्व	२७,३४,४४,००,०००	० २७,३४,४४,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास.		
	राजस्व	५३,५२,५०,४९,१००	० ५३,५२,५०,४९,१००
०१८.	श्रम		
	राजस्व	६,३६,००,००,०००	० ६,३६,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
	राजस्व	१४,३७,८२,६७,०००	० १४,३७,८२,६७,०००
	पूंजी	१,१५,०४,६६,०००	० १,१५,०४,६६,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास		
	राजस्व	१४,७३,५९,००,२००	० १४,७३,५९,००,२००
	पूंजी	२,०००	० २,०००
०२३.	जल संसाधन		
	राजस्व	२००	० २००
	पूंजी	३,००,००,००,०००	० ३,००,००,००,०००
०२४.	लोक निर्माण कार्य		
	राजस्व	१,७१,००,००,०००	० १,७१,००,००,०००
	पूंजी	५,९००	० ५,९००
०२६.	संस्कृति		
	राजस्व	१०,८६,००,०००	० १०,८६,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा		
	राजस्व	१००	० १००
०३०.	ग्रामीण विकास		
	राजस्व	१०,३७,८०,००,०००	० १०,३७,८०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१६,१०,००,२००	०	१६,१०,००,२००
	पूंजी	१८,८२,८३,६००	०	१८,८२,८३,६००
०३२. जनसंपर्क	राजस्व	८२,००,००,०००	०	८२,००,००,०००
	राजस्व	१,७६,७८,१२,८००	०	१,७६,७८,१२,८००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	१,७६,७८,१२,८००	०	१,७६,७८,१२,८००
	राजस्व	६,७६,८६,५२,०००	०	६,७६,८६,५२,०००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	१,२५,३०,०००	०	१,२५,३०,०००
	राजस्व	५१,८५,००,०००	०	५१,८५,००,०००
०३७. पर्यटन	राजस्व	५१,८५,००,०००	०	५१,८५,००,०००
	राजस्व	१००	०	१००
०४०. पंचायत	राजस्व	१००	०	१००
	राजस्व	२०,००,००,२००	०	२०,००,००,२००
०४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	२०,००,००,२००	०	२०,००,००,२००
	राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	पूंजी	१,२५,००,००,०००	०	१,२५,००,००,०००
	राजस्व	६५,००,००,२००	०	६५,००,००,२००
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	६५,००,००,२००	०	६५,००,००,२००
	राजस्व	७५,००,००,०००	०	७५,००,००,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	९,००,७५,००,०००	०	९,००,७५,००,०००
	राजस्व	३५,००,००,०००	०	३५,००,००,०००
०४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	३५,००,००,०००	०	३५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	२००	०	२००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	२९,८८,००,०००	०	२९,८८,००,०००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
०५५.	महिला एवं बाल विकास	पूंजी	२६,४२,३२,०००	०	२६,४२,३२,०००
योग :		राजस्व :	१,४८,४२,१९,८७,४००	०	१,४८,४२,१९,८७,४००
		पूंजी :	१४,८७,३०,१९,५००	१००	१४,८७,३०,१९,६००
		वृहद-योग :	१,६३,२९,५०,०६,९००	१००	१,६३,२९,५०,०७,०००

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023

क्र. 4981-85-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 OF 2023

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2023

[Received the assent of the Governor on the 21st March, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 21st March, 2023].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2022-2023.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2023.

Issue of Rs.
1,63,29,50,07,000
from and out of the
Consolidated Fund
of the State for the
Financial Year
2022-2023.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rupees Sixteen Thousand Three Hundred Twenty Nine Crore Fifty Lakh Seven Thousand towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2022-23 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

Amount in Rupees

(1) No. of Vote	(2) Services and Purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation Public Debt.	Capital	0	100	100
007.	Commercial Tax	Revenue	89,70,00,100	0	89,70,00,100
008.	Expenditure on Land Revenue, District Administration and Disaster Relief.	Revenue	200	0	200
010.	Forest	Revenue	4,800	0	4,800

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
011.	Industrial Policy And Investment Promotion.	Revenue	5,50,00,00,000	0	5,50,00,00,000
012.	Energy	Revenue	27,34,44,00,000	0	27,34,44,00,000
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.	Revenue	53,52,50,49,100	0	53,52,50,49,100
018.	Labour	Revenue	6,36,00,00,000	0	6,36,00,00,000
019.	Public Health and Family Welfare.	Revenue	14,37,82,67,000	0	14,37,82,67,000
		Capital	1,15,04,66,000	0	1,15,04,66,000
022.	Urban Development and Housing.	Revenue	14,73,59,00,200	0	14,73,59,00,200
		Capital	2,000	0	2,000
023.	Water Resources	Revenue	200	0	200
		Capital	3,00,00,00,000	0	3,00,00,00,000
024.	Public Works	Revenue	1,71,00,00,000	0	1,71,00,00,000
		Capital	5,900	0	5,900
026.	Culture	Revenue	10,86,00,000	0	10,86,00,000
027.	School Education	Revenue	100	0	100
030.	Rural Development	Revenue	10,37,80,00,000	0	10,37,80,00,000
031.	Planning, Economics and Statistics.	Revenue	16,10,00,200	0	16,10,00,200
		Capital	18,82,83,600	0	18,82,83,600

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
032.	Public Relations		
	Revenue	82,00,00,000	0
			82,00,00,000
034.	Social Justice and disabled Person welfare.		
	Revenue	1,76,78,12,800	0
			1,76,78,12,800
035.	Micro, Small and Medium Enterprises.		
	Revenue	6,76,86,52,000	0
	Capital	1,25,30,000	0
			6,76,86,52,000
			1,25,30,000
037.	Tourism		
	Revenue	51,85,00,000	0
			51,85,00,000
040.	Panchayat		
	Revenue	100	0
			100
044.	Higher Education		
	Revenue	20,00,00,200	0
			20,00,00,200
046.	Science and Technology		
	Revenue	20,00,00,000	0
	Capital	1,25,00,00,000	0
			20,00,00,000
			1,25,00,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.		
	Revenue	65,00,00,200	0
			65,00,00,200
048.	Narmada Valley Development		
	Revenue	75,00,00,000	0
	Capital	9,00,75,00,000	0
			75,00,00,000
			9,00,75,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare		
	Revenue	35,00,00,000	0
			35,00,00,000
051.	Religious Trusts and Endowments.		
	Revenue	200	0
			200
052.	Medical Education		
	Revenue	29,88,00,000	0
			29,88,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
054. Backward Classes Welfare	Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
055. Women and Child Development.	Capital	26,42,32,000	0	26,42,32,000
Total	Revenue	—	1,48,42,19,87,400	0
	Capital	—	14,87,30,19,500	100
Grand Total		—	1,63,29,50,06,900	100